

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - /2020 (Bank Case)

इण्डिया शेल्टर फाईनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी विकास सिंह राठौड पुत्र श्री राकेश सिंह राठौड, जिसका शाखा कार्यालय-पहली मंजिल, 10-डी, पंजवानी कॉम्प्लैक्स, मल्टीपरपज स्कूल के सामने, गुमानपुरा, कोटा-324007, राजस्थान में स्थित व कार्यरत हैं तथा पंजिकृत कार्यालय-प्लॉट 15, 6th फ्लोर, इंस्टीटूशनल एरिया, सेक्टर-44, गुरुग्राम, हरियाणा-122002 हैं।

- प्रार्थी /सिक्वोर क्रेडिटर

बनाम

1. श्रीमती सावित्री बाई पत्नी श्री हर लाल (ऋणी/बन्धनकर्ता)
पता- वार्ड नं० 56, नन्दा जी बडी कच्ची बस्ती, खेडली फाटक, कोटा - 324001 (राज०)
2. श्री हर लाल पुत्र श्री गोपाल लाल (सहऋणी)
पता- वार्ड नं० 56, नन्दा जी बडी कच्ची बस्ती, खेडली फाटक, कोटा - 324001 (राज०)
3. श्री जितेन्द्र पुत्र श्री हर लाल (सहऋणी)
पता- वार्ड नं० 56, नन्दा जी बडी कच्ची बस्ती, खेडली फाटक, कोटा - 324001 (राज०)
4. श्री योगेश पुत्र श्री हर लाल (सहऋणी)
पता- वार्ड नं० 56, नन्दा जी बडी कच्ची बस्ती, खेडली फाटक, कोटा - 324001 (राज०)

- अप्रार्थीगण/ऋणी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित:- श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 21.01.2020

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि इण्डिया शेल्टर फाईनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी विकास सिंह राठौड पुत्र श्री राकेश सिंह राठौड, जिसका शाखा कार्यालय-पहली मंजिल, 10-डी, पंजवानी कॉम्प्लैक्स, मल्टीपरपज स्कूल के सामने, गुमानपुरा, कोटा-324007, राजस्थान में स्थित व कार्यरत हैं तथा पंजिकृत कार्यालय-प्लॉट 15, 6th फ्लोर, इंस्टीटूशनल एरिया, सेक्टर-44, गुरुग्राम, हरियाणा-122002 से अप्रार्थीगण ने दिनांक 23.10.2015 को रूपये 4,95,000/- (अक्षरः रूपये चार लाख पिंचयानवे हजार मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्वोरिटी के रूप मे अचल सम्पत्ति सर्वे नं० रे-153, नन्दा की बाडी, कच्ची बस्ती, तहसील-लाडपुरा, जिला कोटा (राज०) में स्थित हैं, जिसका पट्टा कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा जारी किया गया है। जिसका पंजीयन उप पंजीयन कोटा से दिनांक 19.9.2013 को रजिस्टर्ड हुआ है, जिस अनुसार सम्पत्ति हरलाल, श्रीमति सावित्री बाई के नाम दर्ज है को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका

An

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)


और ऋण के भुगतान में व्यक्तिगत व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 30.11.2018 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खातों में 4,57,432/- (अक्षरे रूपये चार लाख सत्तावन हजार चार सौ बत्तीस मात्र) बकाया रकम दिनांक 31.12.2018 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 08.12.2018 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये तथा नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र "राष्ट्रदूत" एवं अंग्रेजी समाचार पत्र "द इकोनोमिक टाइम्स" में दिनांक 15.12.2018 को प्रकाशन भी कराया, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 08.12.2018 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये तथा नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र "राष्ट्रदूत" एवं अंग्रेजी समाचार पत्र "द इकोनोमिक टाइम्स" में दिनांक 15.12.2018 को प्रकाशन भी कराया, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 08.12.2018 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये तथा नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र "राष्ट्रदूत" एवं अंग्रेजी समाचार पत्र "द इकोनोमिक टाइम्स" में दिनांक 15.12.2018 को प्रकाशन भी कराया, इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता अचल सम्पत्ति सर्वे नं० रे-153, नन्दा की बाडी, कच्ची बस्ती, तहसील-लाडपुरा, जिला कोटा (राज०) में स्थित हैं, जिसका पट्टा कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा जारी किया गया है। जिसका पंजीयन उप पंजीयन कोटा से दिनांक 19.9.2013 को रजिस्टर्ड हुआ है, जिस अनुसार सम्पत्ति हरलाल, श्रीमति सावित्री बाई के नाम दर्ज है का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्त कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 21.01.2020 को सुनाया गया।




(ओम कसेरा)
जिला मजिस्ट्रेट, कोटा